रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082026-275156
CG-DL-E-04082026-275156

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4105] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2026/श्रावण 9, 1948
No. 4105] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2026/SHRAVAN 9, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2026

का.आ. 4281(अ).— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, मेघालय में मावलिंग्खुंग (शिलांग के पास) से असम में पंचग्राम (सिलचर के पास) तक ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर (166.80 किमी, एनएच-6) के विकास, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए आवश्यक है, मेघालय राज्य के ईस्ट जैन्तिआ हिल्स जिले में डिजाइन किमी 66+220 से किमी 66+340 और किमी 66+405 से किमी 147+250 तक भूमि के खंड में, एतद्वारा ऐसी भूमि अर्जित करने का अपना इरादा घोषित करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 गकी उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपायुक्त (राजस्व), ईस्ट जैन्तिआ हिल्स को लिखित रूप में दी जाएगी तथा उसके आधार बताए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर देगा, चाहे वह व्यक्तिगत रूपसे हो या किसी विधि व्यवसायी द्वारा, तथा ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात तथा ऐसी आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मेघालय राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 06 (नया) के ईस्ट जैन्तिआ हिल्स जिले (मेघालय में मावलिंगखुंग (शिलांग के निकट) से पंचग्राम (सिलचर के निकट) खंड) में डिजाइन किमी 66+220 से किमी 66+340 और किमी 66+405 से किमी 147+250 तक भूमि खंड के अंतर्गत आने वाली संरचना के साथ या उसके बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मेघालय			जिले का नाम: ईस्ट जैंतिया हिल्स		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: "वापुंग सी&आर्डी ब्लॉक"					
गांव का नाम: बताव					
1	BTW8	निजी	हॉर्टिकल्चर	1.2942 (हेक्टेयर)	1.2942
2	BTW9	निजी	हॉर्टिकल्चर	4.8779 (हेक्टेयर)	4.8779
गांव का नाम: लाकाडोंग उमलतदोह					
3	ULDH10	निजी	हॉर्टिकल्चर	0.1461 (हेक्टेयर)	0.1461
4	ULDH11	निजी	हॉर्टिकल्चर	0.5766 (हेक्टेयर)	0.5766
5	ULDH2	निजी	कच्चा रोड (कम्यूनिटी)	0.0381 (हेक्टेयर)	0.0381
6	ULDH3	निजी	हॉर्टिकल्चर	2.0751 (हेक्टेयर)	2.0751
7	ULDH4	निजी	हॉर्टिकल्चर	0.4198 (हेक्टेयर)	0.4198
8	ULDH5	निजी	हॉर्टिकल्चर	0.1623 (हेक्टेयर)	0.1623
9	ULDH6	निजी	हॉर्टिकल्चर	1.6071 (हेक्टेयर)	1.6071
10	ULDH7	निजी	हॉर्टिकल्चर	0.0453 (हेक्टेयर)	0.0453
11	ULDH8	निजी	हॉर्टिकल्चर	0.392 (हेक्टेयर)	0.392
12	ULDH9	निजी	हॉर्टिकल्चर	0.1699 (हेक्टेयर)	0.1699
				Total	**11.8044**

[फा. सं. NHIDCL/PMU-Khliehriat/2025/LA/New NH-6 Greenfield/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2026

S.O. 4281(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act,1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for the Development, Maintenance, Management and Operation of Greenfield High Speed Corridor (166.80 km, NH-6) from Mawlyngkhung (near Shillong) in Meghalaya to Panchgram (near Silchar) in Assam, in the stretch of land from design km 66+220 to km 66+340 (RHS) & km 66+405 to km 147+250 in the district of East Jaintia Hills in the State of Meghalaya, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, The Deputy Commissioner (Revenue), East Jaintia Hills District, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from design km 66+220 to km 66+340 (RHS) & km 66+405 to km 147+250 for the section from Mawlyngkhung (near Shillong) in Meghalaya to Panchgram (near Silchar) on new National Highway No 06 in East Jaintia Hills District in the state of Meghalaya

State: MEGHALAYA			District: East Jaintia Hills		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Wapung C&RD Block					
Village: Bataw					
1	BTW8	Private	Horticulture	1.2942 (Hectare)	1.2942
2	BTW9	Private	Horticulture	4.8779 (Hectare)	4.8779
Village: Lakadong Umlatdoh					
3	ULDH10	Private	Horticulture	0.1461 (Hectare)	0.1461
4	ULDH11	Private	Horticulture	0.5766 (Hectare)	0.5766
5	ULDH2	Private	Kaccha Road (Community)	0.0381 (Hectare)	0.0381
6	ULDH3	Private	Horticulture	2.0751 (Hectare)	2.0751
7	ULDH4	Private	Horticulture	0.4198 (Hectare)	0.4198
8	ULDH5	Private	Horticulture	0.1623 (Hectare)	0.1623

9	ULDH6	Private	Horticulture	1.6071 (Hectare)	1.6071
10	ULDH7	Private	Horticulture	0.0453 (Hectare)	0.0453
11	ULDH8	Private	Horticulture	0.392 (Hectare)	0.392
12	ULDH9	Private	Horticulture	0.1699 (Hectare)	0.1699
				Total	**11.8044**

[F. No. NHIDCL/PMU-Khliehriat/2025/LA/New NH-6 Greenfield/3A]

SAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.08.04 15:03:18 +05'30'